Indian J. Soc &.Pol. 1(2):53-56:2014 **ISSN :2348-0084**

ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री शिक्षा की स्थिति

शिवानी शुक्ला[1]

[1]असि0 प्रोफेसर,बी.एड0 विभाग,दयानन्द दनकू परागा ज्ञान उदय महाविद्यालय,मुरलीपुर,कानपुर नगर उ0प्र0 भारत

पूर्वपीठिका

हमारी ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत निरन्तर घटता जा रहा है। ग्रामीण जनसंख्या की निरन्तर कमी होने के बाद भी देश की अधिकांश जनता गॉवों में ही निवास कर रही है। देश को विकसित देशों की श्रेणी में लाने के लिए ग्रामीण जनता को शहरी विकास के समान लाना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी शिक्षा की स्थिति सोचनीय है। आज भी शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार से पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति और स्त्रियाँ अनभिज्ञ है। प्रस्तुत शोध पत्र में इस गंभीर विषय पर एक पर्यवेक्षणात्मक दृष्टि डालने का प्रयास किया गया है।

स्त्रियों की शिक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि एक पुरुष की। एक चक्र से रथ नहीं चलता क्योंकि उसकी उचित गति के लिए युगल चक्र की आवश्यकता होती है। पुरूष यदि पिता का कर्तव्य निभा रहे हैं तो स्त्रियॉ एक मॉ का कर्तव्य निभाती है। एक शिक्षित माता ही शिक्षा का मूल्य समझती है और माँ के रूप में उसे यह ज्ञान होता है कि अपने बालकों का मार्गदर्शन किस प्रकार करे। आज के बालक कल के नागरिक है जिनका निर्माण माता के हाथ है। इस दृष्टि से भी स्त्री शिक्षा के समुचित विकास की आवश्यकता होती। स्त्री शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न आयोग व कार्यक्रम प्रस्तुत किये गये हैं। बहुतेक क्रियान्वित भी हो रहे हैं परन्तु स्त्री शिक्षा की दिशा में अनेकों समस्या मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रही है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में। इस समस्या को हम निम्न भागों में बाँटते हैं।

- सामाजिक समस्या,
- आर्थिक समस्या,
- साधन सम्बन्धित समस्या,
- पूर्वाग्रह सम्बन्धित समस्या,
- अपव्यय व अवरोधन की समस्या

सामाजिक समस्या के अन्तर्गत रूढिवादी विचारधारा, सामाजिक कुरीतियाँ बाल विवाह, पर्दा प्रथा आदि बालिका को बालकों से कमतर समझना, सह शिक्षा को प्रोत्साहन न देना, विद्यालयों का घर से दूर होना आदि। आर्थिक समस्या में सीमित पारिवारिक साधन, बेरोजगारी, निर्धनता एवं योजनाओं के विषय में अज्ञानता आदि के कारण से स्त्री शिक्षा बाधित होती है। बालिकाओं के आवागमन की असुविधा होना। शिक्षिकाओं को साधन सम्बन्धी असुविधा होने से वे ग्रामीण क्षेत्र में आना नहीं चाहती यदि आती हैं भी तो जल्द से जल्द तबादले करवा लेती हैं। ग्रामीण समाज में ऐसी विचारधारा है कि यदि बालिका पढ़ लिख गई तो पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आकर अधिक स्वतंत्र हो जाएगी। साथ ही विद्यालय व महाविद्यालय दूर होने से किसी अनहोनी की आशंका भी शिक्षा में बाधा उत्पन्न करती है।

बालिकाओं की शिक्षा में अपव्यय व अवरोधन कई कारणों से उत्पन्न होता है। जैसे आर्थिक, सामाजिक एवं प्रशासनिक धन की कमी, सामाजिक दृष्टिकोण एवं स्कूलों की समुचित व्यवस्था न होना।

स्त्री शिक्षा के लिए उपलब्ध संस्थाएं

प्राथमिक विद्यालय

प्राचीन समय में स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त था वे गुरूकुल में शिक्षा प्राप्त कर सकती थीं परन्तु उचित व्यवस्था न होने के कारण शिक्षा को गति न प्राप्त हो पाई। बौद्धकाल में एवं मुस्लिम काल में भी स्त्री शिक्षा की स्थिति संतोषजनक नहीं थी केवल उच्च कुल की स्त्रियाँ ही शिक्षा प्राप्त कर पाती थी। भारत में नारी सम्मानित तो थी परन्तु मां, बहन और बेटी के रूप में उसके लिए घर की जिम्मेदारियां को संभालना ही अंतिम था। औपचारिक शिक्षा की ब्यवस्था तो थी परन्तु एक बड़ा हिस्सा चहारदीवारी में कैद था। बहुत कम ही बालिकायें शिक्षा ग्रहण कर पाती थीं।

1:Corresponding Author

ब्रिटिश काल में इस ओर ध्यान आकृष्ट किया गया इसाई मिशनरी रेवरेण्डम् ने 1818 में चिनपुरा में अलग से बालिका विद्यालय की स्थापना करके। इसके बाद इंग्लैण्ड की मिस कूक के प्रयास से 1821 से 1823 तक भारत में अलग से 22 बालिका विद्यालयों की स्थापना की गई। इससे प्रेरणा पाकर भारतीय भी आगे आए और गोखले व गांधी जी के प्रोत्साहन से बेसिक शिक्षा शुरू हुई परिणामस्वरूप आज गॉवों में प्राथमिक शिक्षा देने हेतु प्राथमिक विद्यालय संचालित है।

माध्यमिक विद्यालय

प्राथमिक शिक्षा के बाद माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए बालिकाएं निम्न व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जाती है। जहां पर वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए तैयार होती है। माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा प्राप्ति का वह चरण होता है जिसमें अक्षर ज्ञान से ऊपर उठकर विषयगत ज्ञान की ओर उन्मुख होता है। विषयगत विशिष्टताओं का ज्ञान प्राप्त करते हुए वह स्वयं के लिए किसी विशिष्ट परिक्षेत्र का चयन करता है। भारत में माध्यमिक शिक्षा की सुलभता बहुत आसान नहीं रही हैं। सुदूर स्थित विद्यालयों के कारण बालिकाओं के लिए यह अत्यन्त दुरूह कार्य हो जाता था कि वे माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करें।

उच्च स्तर की शिक्षा संस्थाएं

अपाला, घोषा, मैत्रेयी, माण्डवी आदि विदूषियों के देश में आज महिला उच्च शिक्षा प्राप्त करके विभिन्न क्षेत्रों में अपना नाम रोशन कर रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महाविद्यालयों एवं व्यवसायिक शिक्षा केन्द्रों की संख्या बढ़ रही है जिससे ग्रामीण बालिकाएं लाभ उठा रही हैं।

ग्रामीण स्त्री शिक्षा के विकास हेतु गठित आयोग एवं समितियां

2011 की जनगणना के अनुसार 65.46 प्रतिशत महिलाएं शिक्षित है। बाकी को शिक्षित करने हेतु स्वतंत्रता के बाद से ही निरन्तर प्रयास हो रहे हैं। जिसके फलस्वरूप 1951 में नारी साक्षरता की दर 8.86 प्रतिशत थी जो 2011 में बढ़कर 65.49 प्रतिशत तक पहुँच गयी है। स्वतंत्रता के बाद स्त्री शिक्षा के मार्ग में आने वाली परेशानी को दूर करने के लिए विभिन्न समितियों एवं आयोगों का गठन हुआ। **डॉ0 एस0 राधाकृष्णन कमीशन** में स्त्रियों के लिए शिक्षा सम्बन्धी अवसरों में वृद्धि करने की सिफारिश की गई।

मुदालियर कमीशन ने (1952) गृह विज्ञान के लिए विशेष विद्यालय खोलने की सिफारिश की।ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री शिक्षा के प्रसार के लिए **दुर्गाबाई देशमुख समिति (1958)** का गठन किया गया। **1989 में महिला समाख्या** ने ग्रामीण और कमजोर वर्ग की लड़कियों की पढ़ाई के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता दी इसके द्वारा गोष्ठियों एवं बैठकों के द्वारा स्त्री शिक्षा के प्रति जागरुकता लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस समय महिला समाख्या कार्यक्रम 09 प्रान्तों (उ0प्र0, गुजरात, कर्नाटक, आन्ध्रप्रदेश, बिहार, आसाम एवं मध्यप्रदेश, झारखण्ड) में चल रहे है।

श्रीमती हंसा मेहता (1962) समिति ने माध्यमिक स्तर पर स्त्री शिक्षा के पाठ्यक्रम में विभिन्न विषय रखे जाने की सिफारिश की, विशेष रूप से गृह–विज्ञान की। चेन्नई राज्य के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित **भक्त वत्सलम् समिति** ने ग्रामीण क्षेत्र में स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में जनता का सहयोग न मिलने के कारणों की जांच का प्रयत्न किया एवं ग्रामीण क्षेत्र में सार्वजनिक सहयोग एवं इस क्षेत्र की प्रौढ़ महिलाओं के लिए संक्षिप्त कार्यक्रम का आयेाजन किया जाए ऐसा प्रयास किया जिसका तृतीय पंचवर्षीय योजना में ही अमल शुरू हुआ।

कोठारी आयोग (1964) द्वारा ग्रामीण निरक्षर महिलाओं को साक्षर बनाने हेतु ग्राम सेविकाओं का सहयोग एवं आवागमन की सुविधा हेतु भत्ता भी दिया जाए, ऐसी सिफारिश की गयी। **1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति** में नवोदय विद्यालयों की स्थापना ग्रामीण अचंल के मेधावी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था जिसमें 30 प्रतिशत सीटें बालिकाओं के लिए आरक्षित है।

10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत **माननीय अब्दुल कलाम ने प्रोवाइडिंग अरबन एमिनिटिज इन रूरल एरियाज (प्यूरा)** की अवधारणा का प्रतिपादन करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा दिया है। जिसका लाभ ग्रामीण स्त्रियों को भी प्राप्त हुआ है। 1998 में ग्रामीण महिला विकास एवं सशक्तिकरण योजना भी शुरू की गयी थी जिसे बदलकर स्वशक्ति परियोजना का नाम दिया गया। इसे कुछ राज्यों में लागू किया गया। इसमें कड़ी मेहनत व समय को कम करने वाले साधनों एवं साक्षरता स्वास्थ्य का उपयोग

करके विश्वास में वृद्धि करके बेहतर जीवन स्तर के संसाधनों तक महिलाओं की पहुंच बढ़ाना है।

महिला स्वालम्बन योजना में कुछ व्यवसायिक प्रशिक्षण दिये गये है। जैसे कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग, मेडिकल, ट्रांसक्रिप्शन, इलेक्ट्रानिक, एसैम्बलिंग, हथकरघा, बुनाई, हस्तशिल्प सामुदायिक स्वास्थ्य कार्य आदि । कस्तूरबा गाँधी बालिका योजना ऐसे विकास खण्डों में लागू की गयी है जहाँ वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता की दर राष्ट्रीय औसत से कम और लैगिंक भेदभाव का स्तर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है ऐसे विकास खण्डों में कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में बालिका स्कूल खोले जाए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत महिलाओं के लिए उच्च स्तर पर नये–नये व्यवसायिक पाठ्यक्रम शुरू किये गये और उनके लिए अलग से पालिटेक्निक कालेज खोले जाए वि0वि0 अनुदान आयोग ने ने विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में महिला अध्ययन केन्द्र खोलने हेतु सहायता देना शुरू किया।रूरल डेवलपमेण्ट फांउडेशन (हैदराबाद) भी ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च कोटि के ग्रामीण विद्यालय खोलने में सहायता दे रहा है।

आयोगों व समितियों से प्राप्त निष्कर्ष

स्वतंत्रता के बाद सरकारों, महिला संगठनों, महिला आयोगों आदि के प्रयास से महिलाओं के लिए विकास के द्वार खुले उनमें शिक्षा का प्रसार बढ़ा जिससे उनमें जागृति आयी। आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ, आज वे राजनीति, समाज–सुधार, शिक्षा पत्रकारिता, साहित्य, विज्ञान, उद्योग, शासन–प्रशासन, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग आदि क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति बना रही है।

एक ओर तो परिणाम उत्साहवर्धक है परन्तु दूसरी ओर दृष्टिपात करे तो दिखाई देगा कि आज भी स्त्री शिक्षा में सुधार की आवश्यकता है। भारत में पूर्ण साक्षरता ही केवल 74.04 प्रतिशत है जिसमें पुरुष साक्षरता 80 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता 65.46 प्रतिशत है। कुछ राज्यों में तो महिला साक्षरता 60 प्रतिशत भी नही है जैसे राजस्थान, उत्तरप्रदेश, झारखण्ड। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी शिक्षा की स्थिति दयनीय है। स्त्रियों की शिक्षा में अनेक समस्या बाधा बन रही है। जिसके लिए कतिपय समाधान प्रस्तुत हैं–

- सर्वप्रथम घर से ही प्रारम्भ करना होगा।
- स्वयंसेवी संस्थाओं को आगे आना होगा नुक्कड़ नाटक, गोष्ठी आदि द्वारा
- विचारों में परिवर्तन करके नवीन सामाजिक दष्टिकोण अपनाना होगा।
- आर्थिक लाभ देने वाली योजना के विषय में जानकारी देनी होगी।
- क्षेत्रीय महिला शिक्षकों की नियुक्ति करना होगा।
- घर से शिक्षा केन्द्रों की दूरी कम करनी होगी।
- शिक्षक व शिक्षिकाओं को अपने कर्त्तव्यों को समझाना होगा।
- स्त्रियों को भी अपने नारी–सुलभ गुणों की रक्षा करने हेतु शिक्षा के पथ पर बढ़ना होगा।
- सरकार को ईमानदारी का परिचय देना होगा।
- विद्यालयों में व्याप्त अवयवस्थाओं को दूर करना होगा।
- सह शिक्षा के नकारात्मक दृष्टिकोण से बचना होगा।
- उपयोगी विषयों को पाठ्यक्रमों में सम्मिलित करना होगा तथा सभ्यता एवं संस्कृति की रक्षा के लिए विषय सम्मिलित करना होगा।
- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शिक्षा का स्वर एक सा करना होगा।
- बालिका विद्यालय एवं महाविद्यालयों की संख्या में वृद्धि करनी होगी।

सरकारी, व्यक्तिगत, एवं अन्य प्रयासों के द्वारा स्त्री शिक्षा आज यहाँ तक पहुंची है। बस थोड़ा और प्रयत्न कर लिया जाए जाय तो केरल से भी उन्नत प्रतिशत पूरे भारत की महिला शिक्षा का होगा और उसका प्रभाव हमारी राष्ट्र की उन्नति में दिखाई देगा। क्योंकि वह भी भारत की आबादी का हिस्सा है और हमें उस हिस्से को भी मजबूत बनाने की आवश्यकता है। बिना स्त्री शिक्षा के समन्वित विकास की परिकल्पना नहीं की जा सकती।

सन्दर्भ

बिहारीलाल, रमन : *भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याए*

सारस्वत , मालती : *भारतीय शिक्षा का विकास एवं समस्याए*

दुबे, मनीष और विभा दुबे : *भारत में शैक्षिक पद्धति का इतिहास*

सन्धू, आई एस और मंजरी सिन्हा : *विकासन्मुख भारतीय समाज में शिक्षा तथा शिक्षक की भूमिका*

परीक्षा मथंन भाग–3 2006–2007